

INDEX MAP
OF
KANTHAMBOUR FORT

पर्यटन के लिए
आवश्यक स्थान



भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

किलास, मानसरोवर, 133-140, पटेल मार्ग, जयपुर

फोन/फैक्स : 0141-2396523 ई-मेल : circlejaipur@gmail.com

प्रशस्ति सहायक - शिव कुमार धामत एवं आर.पी. माधुर

प्रकाशन

शिव धारम प्रकाश (19-25 फरवरी, 2010) के अंक में

मुद्रण : टैल्फोन डिज़ाइन, जयपुर कला : 8141-4888440

भारत सरकार



राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक

रणथम्भौर दुर्ग



सौम्यद जमाल हसन

अधीक्षण पुरातत्वविद्

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

किलास, मानसरोवर,

133-140, पटेल मार्ग, जयपुर

फोन/फैक्स : 0141-2396523 ई-मेल : circlejaipur@gmail.com

राजस्थान के विरथ धरोहर



केधनागर (जलल-खनर), जयपुर, सन् 2010



केवलानंद राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य, जयपुर, सन् 1985

सन् 1872 में समुदाय-राष्ट्र सौखिन, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन की मसलमा द्वारा एक प्रस्ताव पेशित किया गया जिसका उद्देश्य सम्पूर्ण विश्व में सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत की सुरक्षा करना था। सार्वभौम महावक्त्र के ऐसे समारोह/स्वातंत्र्य जो अपनी ऐतिहासिकता तथा अद्वितीयता के कारण महत्वपूर्ण हैं तथा उपयुक्त देख-रेख के अभाव में नष्ट होते जा रहें थे, युनेस्को ने इनमें सुचीबद्ध कर, उनका संरक्षण एवं परिरक्षण करना अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का परम कर्तव्य माना। इस प्रस्ताव पर 198 देशों की सहमति प्राप्त हुई जिसमें भारत भी सक्रिय सदस्य है। भारत अन्य संस्थाओं तथा - अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्र संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्पदा परिरक्षण एवं पुनर्स्थापन आयोग के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। भारत 1985 में विश्वदायक समिति का निर्माणित सदस्य है तथा समिति की प्रगति में नियमित रूप से अपना उत्कृष्ट योगदान दे रहा है। युनेस्को द्वारा सम्पूर्ण विश्व में 911 स्मारक/स्वातंत्र्य सौखिन किए गये हैं जिनमें 794 सांस्कृतिक स्थापना, 100 प्राकृतिक स्थापना तथा 27 अन्य स्थापना सम्मिलित हैं। इनमें भारत की 25 सांस्कृतिक स्थापना तथा 5 प्राकृतिक स्थापना भी स्वागत रहते हैं।

ये सांस्कृतिक स्थापना अजन्ता, ऐलोरा एवं ऐलीफेन्टा की गुफाएं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन (महाराष्ट्र), सांजो-सांजो (पुलहा), आगरा का किला, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी (उत्तर प्रदेश), सूर्य मंदिर कोणार्क (उड़ीसा), गोक के शिराजपुर एवं मह (गोक), महाराष्ट्रपुरम मन्दिर समूह, बृहदीश्वर मंदिर तंजावर, गंगईकोनकोलमपुरम एवं वासगुरम (तमिलनाडु), नंदकुल स्मारक समूह, इमपी स्मारक समूह (कॉर्नटक), खजुराहो मंदिर समूह, तांची के बौद्धस्मारक, मीनोटेनस सौखिन (क्रम प्रदेश), हुमायूँ का मकबरा, लालकिला परिसर, कुतुबमीनार तथा इसके परिसर में स्थित स्मारक (दिल्ली), कोथगावा मंदिर (बिहार), केलासाल (उत्तर-मंथर), जयपुर (राजस्थान), कालका-सिन्धुला रेल (हिमाचल प्रदेश), राजीवगिरी विमानतट रेल (पू. बंगाल) तथा प्राकृतिक स्थापना में कोवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (राजस्थान), मानस अभयारण्य, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान (आसाम), सुन्दरवन राष्ट्रीय उद्यान (पू. बंगाल), नन्दा देवी राष्ट्रीय उद्यान एवं फुली की घाटी (उत्तरांचल) सम्मिलित हैं।

राजस्थान राजाजी, किले, महली, मंदिर, विभिन्न वेष्ट-पूजा, कला एवं त्यौहारों, अपनी विशाल वास्तुकला तथा अत्यंत पुरातात्विक स्मारकों/स्वातंत्र्य के लिए प्रसिद्ध है। इस महान विभिन्नता के सांस्कृतिक सौखिन में किन्तु घाटी सभ्यता के स्थापना, पूर्व ऐतिहासिक तथा ऐतिहासिक स्थापना, उत्पत्तिगत स्थापना तथा अजन्ता, सिन्धु और जैन मंदिर, बौद्ध गुफाएं तथा मीनारें, कुंड, बाघ, घाट तथा बगारी, बाग, मकबरा तथा तोरण, आदमकद एकारम मूर्तियां तथा सभ्य, जलवीन लेख तथा मिलितविषय आदि शामिल हैं। पूरे राज्य में पूर्व में बीकानेर से पश्चिम में जैसलमेर तथा उत्तर में मथानगर से दक्षिण में बांसवाड़ा तक फैले कुल 160 स्मारकों तथा स्थापना का देख-रेखा तथा परिरक्षण भारतीय पुरातत्व सौखिन के जयपुर मंडल द्वारा किया जाता है।

जयपुराज उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विश्वदायक संपाद/दिवस जैसे विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जिनमें न केवल भारत परन्तु आम जनता को भी पुरातात्विक स्मारकों/स्वातंत्र्य, संप्रदायों तथा अपनी सांस्कृतिक विरासत के बारे में शिक्षित करने हेतु सम्मिलित किया जाता है। आयोजित प्रदर्शनियों, स्मारकों के रख-रेखा में छात्रों के योगदान विश्वक विभिन्न प्रतिस्पर्धिताओं, विज्ञानक प्रतिस्पर्धिताओं तथा स्मारकों/स्वातंत्र्य का दिवस जयपुराज कलाती पुस्तिकाओं के वितरण के माध्यम से बड़े स्तर पर सांस्कृतिक ज्ञान-जगत्सत्ता उपनयन की जाती है ताकि वर्तमान पीढ़ी अपने धरोहरों के संरक्षण हेतु सक्षम रहे तथा इसे सुरक्षित रूप में भविष्य की पीढ़ी को सौंप सके।

रणथम्भीर दुर्ग

रणथम्भीर का दुर्ग भारत के सर्वाधिक सुदृढ़ दुर्गों में से एक है जिसने शासकगणों के वाहगमन राज्याज को आज्ञाकारी प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की। यह कहा जाता है कि इस दुर्ग का निर्माण महाराजा जयचंद ने चौधवीं शताब्दी ई० में किया था। 12 वीं शताब्दी ई० में पूर्वोक्त चौहानों के आक्रमण तक यह वास्तव में शासन किया। हम्भीरदेव (सन 1282-1301ई०) रणथम्भीर का सर्वाधिक दृष्टिगतशील शासक था, जिसने कला एवं सभ्यता को प्रभाव दिया एवं सन 1301 ई० में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वीरतापूर्ण सामना किया। इसके बाद किले पर दिल्ली के सुल्तानों का अधिकार हो गया। उपर्युक्त यह रामा शांता (सन 1509-1527 ई०) तथा उसकी उत्तराधिका मुरारी की नियन्त्रण में रहा जिसने अन्ततः इसे कछवाहा राजपूतों को सौंप दिया।

यह दुर्ग रणथम्भीर व्याघ्र अभयारण्य के बीच स्थित है तथा यह वन दुर्ग का एक आदर्श उदाहरण है। सवाईमाधोपुर जिल्लान रणथम्भीर पट्टण के निकटस्थ स्थित स्थान है। विशाल तथा प्राचीन से सुदृढ़ इस दुर्ग में प्रवेश हेतु रात द्वार- मण्डलका पोत, हथिया पोत, मणेश पोत, अलेरी पोत, सा पोत, सुरज पोत एवं दिल्ली पोत है। दुर्ग के अंदर स्थित महत्वपूर्ण स्मारकों में हम्भीर महल, राणी महल, हम्भीर की बड़ी कचहरी, छोटी कचहरी, काल महल, बालीच-खाना छात्री, जांबा-बांदा (अन्न-भंडार), मरिजद, मकबरा एवं हिन्दू मंदिरों के अतिरिक्त एक दिगम्बर जैन मंदिर तथा एक दरगाह स्थित है। उपर्युक्त स्मारकों में मणेश मंदिर स्थानीय लोगों की सर्वाधिक आस्था का केन्द्र है।

मण्डलका पोत:- दुर्ग में प्रवेश करने हेतु पैदल यात्रियों का एकमात्र प्रवेशद्वार है। अन्य द्वारों के समान इस प्रवेशद्वार में भी तीन द्वारों की एक अन्वष्ट शृंखला है। द्वारों के दोनों ओर सुका प्रहरियों के लिए चौकी बनी हुई है।



हथिया पोत:- दक्षिण-पूर्व की ओर अभिमुख यह दूसरा प्रवेशद्वार 3.20 मीटर चौड़ा है, तथा जहाँ एक ओर यह प्राचीर से जुड़ा है वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक चट्टान से आवृत है। इस द्वार के ऊपर प्रहरियों के लिए एक अवतारकल बना हुआ है।

मणेश पोत:- यह तीसरा द्वार दक्षिणभिमुख है तथा 4.10 मीटर चौड़ा है। इस द्वार के ऊपर स्थित बरग टीली पर अवस्थित है जिसके ऊपर एक मेहराब का प्राकारण है। इस द्वार का पूर्वी किनारा एक छोटी गढ़ान से जुड़ा है।

अलेरी पोत:- यह उत्तरभिमुख अर्थात् प्रवेशद्वार है जिसकी चौड़ाई 3.30 मीटर है। यह दोनों तरफ तथा प्राचीर से जुड़ा है। इसके बगल में लकड़ीयन विभिन्न प्रकार के मेहराब तथा प्रशस्ति दीर्घाओं का प्रयोग किया गया है।

दिल्ली द्वार:- यह द्वार दुर्ग के उत्तर-पश्चिमी कोने पर स्थित है। उत्तरभिमुख इस द्वार की चौड़ाई 4.70 मीटर है। इस मेहराबदार प्रवेशद्वार में सुका-प्रहरियों के निवास हेतु अनेक कक्ष निर्मित हैं।



मालपोत:- दुर्ग के पश्चिमी द्वारों में स्थित दक्षिणभिमुख यह प्रवेशद्वार सर्वाधिक विशाल है तथा इसकी चौड़ाई 4.70 मीटर है। इस द्वार पर सुका प्रहरियों के लिए दो मंजिले कक्षों की व्यवस्था है।

सुरजपोत:- दुर्ग के पश्चिमी भाग में बना यह प्रवेशद्वार तुलनात्मक रूप से छोटा है तथा इसकी चौड़ाई 2.10 मीटर है। यह पूर्वभिमुख है।

दरगाह रोड:- यह प्रवेशद्वार काशी की सदरुद्दीन दरगाह के निकट स्थित है। बादत भूल परिवार में जाने का यह मुख्य प्रवेशद्वार है। इसकी चौड़ाई 2.75 मीटर है तथा यह पूर्वभिमुख है। अवस्थित पाषाणखण्डों से बना यह एक मेहराबदार द्वार है जिसके ऊपर घुने का पलस्तन किया गया है।

हम्भीर महल:- रणथम्भीर के सर्वाधिक दृष्टिगतशील शासक हम्भीर देव के नाम पर स्थापित यह महल एक शायद स्मारक है जिसमें प्रवेश हेतु उत्तर की ओर एक मेहराबदार द्वार





बना हुआ है। इसका परिचयी भाग तीन मंजिलों वाला है जबकि अन्य भाग केवल एक मंजिला ही है। इसके अतिरिक्त उत्तर-पूर्वी कोने में एक भूमिगत मंजिल भी है। मुख्य वाले मंजिल में कई कमरे हैं जो एक दूसरे से छोटे-छोटे दरवाजों द्वारा जुड़े हैं। ये सभी कमरे एक सामान्य बरामदे में खुलते हैं। बरामदे की छत सादे एवं अलकमगरीन सत्यों पर आधारित है। महल का पूर्वी हिस्सा प्रवेशित दीवारों से सुरक्षित है। इसके पहले मंजिल तक पहुँचने के लिए सुविधाजनक चढ़ाई वाला एक मार्ग बना हुआ है। सम्पूर्ण परिसर की छत बहुत पक्की की पट्टिकाओं से निर्मित है जो पक्कर के बने पत्थरों पर आधारित है। इसकी दीवारें अत्यधिक पक्कापक्की द्वारा बनाई गई हैं जिसके उत्तर पूर्वी कोने पर पल्लर किया गया है। इस महल को बनवाने का श्रेय हमीरदेव (1283-1301 ई०) को जाता है।

रानी महल :- हमीर महल के निकट स्थित यह एक भव्य भवन परिसर है। इसकी परिसर के भीतर अनेकानेक संरचनाएँ विद्यमान हैं पर उनमें से अधिकतर जीर्ण-शोर्ण अवस्था में हैं। लाल बजुर पक्कर से निर्मित इसका प्रवेशद्वार अत्यंत प्रभावशाली है।

बादायन महल :- यह एक विशाल दो मंजिला भवन है। इसमें कई कमरे हैं जो एक सामान्य बरामदे से संबद्ध हैं। इसके अतिरिक्त एक खुला प्रांगण है। ये सभी कमरे लाल बजुरा पक्कर द्वारा निर्मित हैं जिसके उत्तर पूर्वी कोने पर पल्लर चढ़ा दिया गया है। इन कमरों में एक मुख्यकक्ष भी है जो सत्यों पर आधारित है तथा इसमें दोहरे मेढरों का प्रयोग हुआ है। एक अन्य सभा भवन में सुंदर चित्रकारी के साथ-साथ विविध अलकमगरीन अभिजातों को प्रस्तुत किया गया है।

रघुनाथ जी का मंदिर :- पवित्रतामिमुख इस मंदिर में एक खुला प्रांगण, एक बंद प्रांगण एवं एक गर्भगृह सह प्रदक्षिणामय की योजना है। गर्भगृह को पार्श्वों में एक-एक कमरा तथा बरामदा संलग्न हैं। गर्भगृह की बाहरी दीवारों पर सुंदर चित्रकारी का प्रदर्शन किया गया है।

जेन मंदिर :- मुख्यतः इस मंदिर में एक खुला मंडप तथा एक गर्भगृह की योजना की। कालखंड में इसमें काफी बदलाव किये गये तथा खुले मंडप को ईंटों की जालियों से बन्द कर दिया गया। इस मंडप के तीन तरफ लक्ष्मणुका बरामदे निर्मित हैं। गर्भगृह के उत्तर दिशा पर विद्यमान है। दुर्भाग्यवश 07-08 जनवरी सन् 1979 को यहां से दो प्राचीन प्रतिमाओं की चोरी हो गयी। इस समय संभलवास की ध्यानुदा वाली एक आधुनिक प्रतिमा पदमासन में विराजमान है।

अनूपमा मंदिर :- यह मंदिर दक्षिणमिमुख है तथा एक ऊँचे अधिष्ठान पर बना हुआ है। इसकी योजना में एक गर्भगृह, एक बरामदा तथा एक अर्द्धमंडप सम्मिलित हैं। इसकी छत समतल है। गर्भगृह में एक सिंहासन प्रतिष्ठित है। मंडप की दो पार्श्व दीवारों पर पक्कर की बनी एक-एक दूरदर्शिकाएँ लगी हैं जिनमें चित्रों एवं पुष्पों के साथ-साथ मण्डलों की सज्जा उल्लेख की गई है। अर्द्धमंडप के बाईं स्थित एक लम्बे पर देवतागरी स्थिति में एक अभिलेख उल्लेख है जिसकी स्थिति निम्न संवत्-1808 (1841 ई०) है।

काजी की मस्जिद की

दरगाह :- यह एक सुन्दरपुष्क संरचना है जिसमें प्रवेश द्वार मेहराबदार द्वार बने हैं। दक्षिण-पश्चिम की ओर अतिमूल इस स्मारक के भीतर सतह कई स्थित हैं। कक्ष के भीतर इसके बाहरी कोने पर भार आते बने हैं तथा ऊपर मुहम्मद में भी भार सातान है जिनमें पक्कर की जालियाँ लगी हैं। इस दरगाह के सामने एक घनपुष्क है जिसमें अन्य कई कक्ष स्थित हैं। पहले यहां एक अलकमगरी कालरी कालाख विद्यमान था जिसमें इस दरगाह के निर्माता का उल्लेख किया गया था। दुर्भाग्यवश यह अभिलेख अब चोरी हो चुका है।

हमीर कचहरी :- दुर्ग के उत्तर-पश्चिम कोने में स्थित यह भवन दिल्ली द्वार के निकट स्थित है। यह संरचना एक ऊँचे अधिष्ठान पर बना है तथा ऊपरमिमुख है। इसकी योजना में



19.5 x 11.90 मीटर की माप वाला एक कोणीय कक्ष है जिसके दोनों पार्श्वों में एक-एक आवातलन कक्ष संलग्न हैं। कोणीय कक्ष की छत अनेक सत्यों पर आधारित है। ये सत्यों दो पक्षियों में व्यवस्थित हैं। सत्यों की यह व्यवस्था सम्पूर्ण कक्ष को पण्डह भारों में विभाजित कर देती है। पार्श्व में स्थित कक्षों की छतें समतल न होकर झलती हैं। हमीरदेव (1283-1301 ई०) को इस भवन का निर्माण करना जाता है।

बलीय सभा छहरी :- हमीर महल के निकट स्थित यह संरचना कितारीय केदार पर बनी है। इसकी 12.5 x 12.5 मीटर की परिधिवाले सतहें उत्तरी मेदि की छत 32 (कालिख) सत्यों पर आधारित हैं। ये सत्यों दो पक्षियों में व्यवस्थित हैं जिनमें से बायाँ पक्षि में छः तथा आंतरिक पक्षि में बार-बार सत्यों प्रत्येक और लगाये गये हैं। इन सत्यों का अक्षर कर्नाकर है, यह माप अष्टकोणीय है तथा ऊपर सत्यों की योजना है। इसकी बरामदे की छत समतल है।

नवम्बर, 2009



रघुनाथ मंदिर संरक्षण के पूर्व

जुलाई, 2010



रघुनाथ मंदिर संरक्षण के पश्चात्

मार्च 2008



हाथी घोल संरक्षण के कक्ष में

मार्च 2010



हाथी घोल संरक्षण के पश्चात्



सलपोल द्वार सं. 1 एवं 2
का मध्य भाग
संरक्षण के कक्ष में

सलपोल द्वार सं. 1 एवं 2

का मध्य भाग
संरक्षण के पश्चात्



मार्च 2008



सलपोल द्वार संख्या 2 व 3
का मध्यभाग
संरक्षण के कक्ष में

मार्च 2010



सलपोल द्वार संख्या 2 व 3
का मध्यभाग
संरक्षण के पश्चात्



स्थल मानचित्र निर्देशक पट्ट



चेतावनी पट्ट



स्मारक निर्देशक पट्ट



सुझाव/शिक्षण पेट्टी



स्मारक निर्देशक पट्ट



सांस्कृतिक सूचना पट्ट



सामान्य सूचना पट्ट



मार्ग निर्देशक पट्ट



जागरूकता पट्ट



जैन मंदिर संरक्षण के काम में



जैन मंदिर संरक्षण के परफाज्



मगतोल द्वार संरक्षण के काम में



मगतोल द्वार संरक्षण के परफाज्



मगतोल द्वार संरक्षण के काम में



मगतोल द्वार संरक्षण के परफाज्

विश्वदाय-सप्ताह

19-25 नवम्बर 2010

प्राचीन संस्मारक एवं पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम (संशोधन एवं विधिमन्वकल्प)-2010

भारत सरकार के प्राचीन संस्मारक पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम (संशोधन एवं विधिमन्वकल्प)-2010 के अनुसार किसी भी राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक / स्थल व जगह जहाँ सीमाओं से 100 मीटर के क्षेत्र को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में किसी प्रकार के निर्माण/खनन की अनुमति नहीं दी जा सकती है तथा किया गया निर्माण अथवा एवं अवैधानिक माना जाएगा। इससे परे 200 मीटर तक के क्षेत्र को विधिपूरक क्षेत्र घोषित किया गया है। विनिर्दिष्ट क्षेत्र में निर्माण हेतु स्थान अधिकारी की पूर्वानुमति आवश्यक है तथा बिना पूर्वानुमति के किया गया निर्माण/खनन अवैध माना जाएगा।

प्राचीन संस्मारक से तात्पर्य है कि कोई प्राचीन मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुम्बदा, कब्रिस्तान, मकबरा, इनामवादा, ईदगाह, इमाम, कब्र, किला, प्राचीन कुएँ (बावड़ी), ऐतिहासिक तालाब व घाट, मण्डप, छतरी, धर्मशाला, प्राचीन द्वार, मानव निर्मित मुक्त, स्तम्भ, पत्थरों पर प्रतिमाएँ, छतियाँ, स्मृति स्मारक, स्तूप, चिह्न, पत्थरों पर स्थित, छतरी, लेख, प्राचीन पुस्तकालय, कोश, मंदिर, पुरातत्विक तथा ऐतिहासिक स्थल, पुरातात्विक या कलात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो और कम से कम एक ही वर्ष से विद्यमान हो। पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष से तात्पर्य है कि कोई ऐसा प्राचीन टीला/क्षेत्र जिनमें ऐतिहासिक या पुरातात्विक महत्व के अवशेष होने की संभावना हो।

पुरातत्व से तात्पर्य है कि कम से कम एक ही वर्ष प्राचीन कोई भी मानव निर्मित वस्तु जैसे प्राचीन सिक्के, अस्त्र-शस्त्र, प्रतिमाएँ, पुतलिकाएँ, चित्रकारी, कलात्मक शिल्पकारी, तालाब आदि। पत्थरों पर प्रतिमाएँ, ऐतिहासिक, साहित्यिक तथा कलात्मक महत्व की हो और कम से कम 75 वर्ष से अधिक प्राचीन हो, और पुरातत्व से असम्बंधित होती है।

पुरातत्व से संबंधित पंजीकरण हेतु मण्डल कार्यालय में पंजीयन-अधिकारी से सम्बंधित कर निम्नानुसार अवैधत करके पुरातत्व से संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त करें। यह कार्रवाई आवश्यक है।

संरक्षित स्मारक

यह स्मारक प्राचीन संस्मारक तथा पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 (1958 के 24) के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। यदि कोई भी इस स्मारक को क्षति पहुँचाता, गन्ध करता, दिग्गम अथवा परिवर्तित करता, कुल्लु करता, खाने में डालता या दुरुपयोग करने हेतु पाया जाता है तो उसे इस अपराध के लिए प्राचीन संस्मारक तथा पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष (संशोधन तथा विधिमन्वकल्प) अधिनियम, 2010 के अंतर्गत दो वर्ष तक का कारावास या ₹ 1,00,000 (एक लाख) तक जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 के चप निवम 32 तथा 1992 में जारी की गई अधिसूचना के अंतर्गत संरक्षित सीमा से 100 मीटर तक क्षेत्र प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित है। जिसमें किसी भी प्रकार के निर्माण खनन की अनुमति नहीं है तथा इसके अन्तर्गत 200 मीटर तक का क्षेत्र विधिपूरक क्षेत्र घोषित है जहाँ मण्डली की मरम्मत, परिवर्तन तथा नव निर्माण स्थान अधिकारी की पूर्वानुमति से ही किया जा सकता है।